न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर

पीठसीन अधिकारी –बी एल कोठारी, आई.ए.एस

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 19/2019

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
ओगडिया पुत्र राणा राईका निवासी– ग्राम ढूंढली तहसील रोहट जिला पाली।		1. बिरमाराम पुत्र रूघाराम विश्नोई निवासी– ग्राम ढूंढली तहसील रोहट जिला पाली। 2. राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी, रोहट 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रोहट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 27.6.2018 जो उपखण्ड अधिकारी, रोहट के द्वारा राजस्व प्रार्थना 19/2009 (96/2010) अनवान ओगडिया बनाम बिरमाराम में पारित किया

उपस्थितिः—

1. श्री सुरेश परिहार, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री बीरबलराम, अधिवक्ता रेस्पो0 सं 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री ओमप्रकाश राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 व 3 उपस्थित।

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर सत्यमेव जयते जोधपुर

निर्णय

दिनांकः 19 अगस्त, 2019

1. अपीलान्ट की ओर से यह राजस्व अपील उपखण्ड अधिकारी, रोहट के द्वारा राजस्व प्रार्थना 19/2009 (96/2010) अनवान ओगडिया बनाम बिरमाराम में पारित निर्णय दिनांक 27.6.2018 से तथा तहसीलदार रोहट के आदेश दिनांक 16.1.2019 से व्यथित होकर न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न परीसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया।

डिविजनल कमिश्नर जोधपुर

2. प्रस्तुत अपीलों को सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया तथा उपस्थित अभिभाषकगण के द्वारा की गई बहस को सुना।

3. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौरान बहस अपील मिमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रोहट के समक्ष राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम ढूंढली के राजस्व नक्शें में ख0सं0 80 में रेस्पो0 संख्या एक वीरमाराम पुत्र रूगाराम बिश्नोई के खाते में दर्ज ख0सं0 127/80 की पुख्ता तरमीम को गलत बताते हुए उसे निरस्त करने एवं उसके स्वयं की खाते की भूमि ख0सं0 80/1 की तरमीम राजस्व नक्शे में करवाने हेतु प्रार्थना की। प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन था तथा उसमें आगामी तारीख पेशी 27.6.18 नियत थी लेकिन उस दिन उक्त प्रार्थना पत्र को रोहट में आयोजित कैम्प कोर्ट में बिना अपीलान्ट या उसके अभिभाषक को सूचित किये सुनवाई हेतु रखा तथा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में रेस्पोडेन्ट की उपस्थिति में सुनकर गुणावगुण पर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस प्रकार माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है अतः प्रकरण अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावें।

4. न्यायालय हाजा में अपील पेश किये जाने में हुए विलम्ब को कन्डोन करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परीसीमा अधिनियम 1963 बाबत कथन था कि उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.6.2018 की जानकारी उसे दिनांक 20.1.2019 को मौके पर राजस्व कर्मचारियों के आने तथा उसे कब्जाकाश्त शुदा भूमि से हट जाने को कहा, तब हुई। तब उसके द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही सम्पादित करते हुए यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 24.1.2019 को प्रस्तुत की। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन करते हुए अपील अन्दर म्याद शुमार की जावें।

डिविजनल कमिश्नर जोधपुर

5. इसके विपरित रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता का कथन था कि अधिनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए कैम्प कोर्ट में पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय किया है जो बहाल रखा जावें। धारा 5 परीसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा कि अपील पेश करने में हुए एक–एक दिन के विलम्ब को अपीलान्ट न्याय संगत नहीं ठहरा सका है अतः अपील इसी बिन्दू पर खारिज की जावें।

6. हमने अपील एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया।

7. हम अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से सहमत है कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिती में कैम्प कोर्ट में एकपक्षीय आदेश पारित किया है, ऐसी दशा में उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी ज्योहि हुई उसने आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर अपील की है अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है अतः अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम को स्वीकार किया जाता है।

8. हमने अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27.4.18 व 27.6.18 का अवलोकन किया। आदेशिका दिनांक 27.4.18 इस प्रकार से है:––

> " वकीलगण उपस्थित। श्रीमान एसडीओ सा आवश्यक राजकार्य/ भ्रमण में विराजते है। अतः पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 27.6.18 को पेश हो।"

इसके पश्चात आदेशिका दिनांक 27.6.18 है जिसमें अपीलाधीन आदेश का उल्लेख है। जिसकी प्रथम पंक्ति इस प्रकार से है:–

> " पत्रावली बमुकाम राजस्व कैम्प रोहट पेश हुई। सरकारी पेरोकार उपस्थित। वकील अप्रार्थी उपस्थित। ....."

9. इस प्रकार स्पष्ट है कि आदेशिका के अनुसार दिनांक 27.4.18 के पश्चात पत्रावली को राजस्व कैम्प रोहट में पेश करने बाबत पीठासीन अधिकारी का कोई आदेश दर्ज नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसे कोई नोटिस

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

भी जारी नहीं करना पाया गया जिसके द्वारा पक्षकारों को पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 27.6.18 को कैम्प कोर्ट रोहट में रखा जाना सूचित किया गया हो।

10. उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये उसकी अनुपस्थिती में अपीलाधीन आदेश जारी किया है जो विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है।

11 अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी रोहट के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.7.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी रोहट को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त पुनः निर्णय पारित करे। इस हेतु दोनों पक्षकार (अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या एक) उपखण्ड अधिकारी रोहट न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2019 को उपस्थित होवें। निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0एल0 कोठारी)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर